संख्या-123/2016/1874/26-3-2016-10(36)/2008टी.सी.

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक-21 जून, 2016

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना जिला कार्यालयों का अधिष्ठान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समाज कल्याण निदेशालय, के पत्रांक-188/स0क/लेखा-बजट/2016-17 दिनांक 02-05-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन अनुदान संख्या-80 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-'' के अन्तर्गत जिला कार्यालयों का अधिष्ठान में चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में खर्चो को वहन करने के लिए रू0 1,84,05,000/-(रूपये एक करोड़ चौरासी लाख पांच हजार मात्र) की धनराशि को अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

आयोजनागत अनुदान संख्या-80 (धनराशि हजार रू0 में)

लेखाशीर्षक/योजना/ मद का नाम	आय- व्ययक प्राविधान 2016-17	स्वीकृत की जा रही धनराशि
राजस्व लेखा		
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोजनागत-		
01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-		
001-निदेशन तथा प्रशासन-		
04-मण्डलीय कार्यालयों का अधिष्ठान-		
01-वेतन	1	1
03-मंहगाई भत्ता	1	1
04-यात्रा व्यय	-	-
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	-	-
06-अन्य भत्ते	1	1
07-मानदेय	-	-
08-कार्यालय व्यय	-	-
09-विद्युत देय	-	-
10-जलकर/जलप्रभार	-	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	-	-
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	-	-
13-टेलीफोन पर व्यय	-	-
14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ्स कारों, मोटर गाड़ियों का क्रय	-	-
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	-	-
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	-	-
17-किराया,उपशुल्क और कर स्वामित्व	-	-
42-अन्य व्यय	-	-
45-अवकाश यात्रा व्यय	-	-
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	-	-
49-चिकित्सा व्यय	-	-
50-मंहगाई वेतन	-	-
51-वर्दी व्यय	3	3
योग--04		
05-जिला कार्यालयों का अधिष्ठान		
01-वेतन	5001	5001
03-मँहगाई भत्ता	6801	6801
04-यात्रा व्यय	1750	1750
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	525	525
06-अन्य भत्ते	595	595
07-मानदेय	90	90
08-कार्यालय व्यय	600	600
09-विद्युत देय	190	190
10-जलकर/जलप्रभार	10	10
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	230	230
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	668	668
13-टेलीफोन पर व्यय	75	75
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	600	600
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	120	120
17-किराया,उपशुल्क और कर स्वामित्व	150	150
42-अन्य व्यय	105	105
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50	50
45-अवकाश यात्रा व्यय	50	50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	300	300
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	300	300
49-चिकित्सा व्यय	185	185
51-वर्दी व्यय	7	7
योग-05	18402	18402
योग-001	18405	18405
योग-01	18405	18405

(रूपये एक करोड़ चौरासी लाख पांच हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016, में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइन्सेसियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये। संभावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर उपलब्ध हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर मे जमा न की जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाये तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोग न किया जाये।

(4) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(5) पूर्व वर्षो में स्वीकृत धनराशियां यदि अभी भी पी0एल0ए0/बैंक खातों एवं पोस्ट आफिसों में जमा है तो उनका उपयोग सुनिश्चित करने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्गत/प्राप्त होने पर ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किया जाये।

(6) उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्त की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016, द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-123/2016/1874(1)/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।

2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।

3-कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।

4-वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

5-निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।

6-वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

7-गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।